प्रा0पत्र 6ए/04/2023 न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

सरकार जरिये सुरेशचन्द्र, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (वि.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) बयाना जिला भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

1–M/S. Nava Bharth fertilizers Limited. Reg. Offcie RR Nagar Main Road Hydrabad जरिये घनश्याम पुत्र रामसिह निवासी मुबारकपुर डडोरा इटावा उत्तर प्रदेश जिम्मेदार व्यक्ति।

2– M/S. Nava Bharth fertilizers Limited. C/o रतनलाल गॉव दांदावास, मेन रेवाडी, बरेली रोड आरवीएल, माडल हाई स्कूल के सामने रेवाडी हरियाणा 123401

3–नीरत कुमार पुत्र श्याम लाल, निवासी भगवानपुर तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

4–निखिल पुत्र संजय गुर्जर गांव सिज्जखेडा तहसील एवं जिला मुज्जफरनगर, उ0प्र0

5–हरिशंकर पुत्र बाबूराम कुशवाह निवासी हरचंदपुरा तहसील भर्तना जिला हटावा उ0प्र0

6–श्यामू पुत्र वीरीसिंह निवासी भूतपुरा तहसील खेरागढ जिला आगरा उत्तरप्रदेश

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 4,5,7,8व 13 (ए)(बी) व 19 (ए)

आदेश

दिनांक 30.8.2024

प्रार्थी यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित सार्वजनिक उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.10.23 रुदावल क्षेत्र मतें नकल डीएपी उर्वरक आने की सूचना पर रुपवास पहुंचकर जांच कार्यवाही की गई कार्यवाही के लिये मौके पर पहुंचे, रुदावल खेरिया मोड मार्ग पर हनुमान मन्दिर गेट के सामने खडी 16 चक्का गाडी ट्रक आरजे 11 जीबी 5101 को चैक किया गया जिसमें नवभारथ फर्टिलाईजर्स लि0 के VAM Supereme (Vesicular arbascular mycorrhizae) के 800 कटअे भरे हुए थे, जिस पर कैल्सियम (as ca 10%) मैग्नीसियम (as mgo 5%), सल्फर (as so4 10%) अंकित था। इसी के साथ

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

VAMSupreme (Vesicular mycorrhizae) की 32 वोतल प्रत्येक वोतल 1 लीटर की मौके पर मिली थी। मौके पर ट्रक ड्राइवर श्यामू पुत्र वीरीसिंह निवासी भूपपुरा तहस खेरागढ आगरा से उर्वरक से सवंधित कागजात मांगने पर ड्राइवर द्वारा बिल्टी व टैक्स इनवाईस नं0 REWSINVOO33 दिनांक 30.9.23 प्रस्तुत किये गये। जिसमे सप्लायर का नाम नवभारथ फर्टिलाईजर लि. रेवाडी हरियाणा एवं माल प्राप्तकर्ता नवभारथ फर्टिलाईजर लि0 कोटा NBFL राजस्थान मार्फत बी एस. आनन्द प्लॉट नम्बर 28 नीयर श्याम बस्ती पुल्ट्री स्टेट रावतभाटा रोड कोटा था। बिल्टी नम्बर 191 दिनांक 30.9.2023 बोम्बे पंजाब रोड कैरियर ताउडु जिला नूहू हरियाणा थी जो कि रेवाडी से रुदावल व घौटोली जिला भरतपुर के लिये थी। आरोपियो के पास उक्त माल को भरतपुर जिले में विक्रय करने का कोई वैध प्राधिकार पत्र नहीं था। आरोपियों द्वारा विक्रय के उद्धेश्य से लाये गये उर्वरक DOSTH BRAND CMS एवं Granules VAM Supreme FCO(1985) के Schedule 1 के पार्ट ए में वर्णित नहीं है। अत:यह उर्वरक की श्रेणी में नहीं है तथा आरापियों द्वारा उर्वरक के रुप में विक्रय करने के उद्धेश्य से रुदावल लाया गया था। अप्रार्थीयों का यह कृत्य आवाश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहपठित FCO(1985) के क्लॉज 4,5,7,8, व 13 (ए)(बी) व 19(ए) का स्पष्ट उल्लंघन उक्त जप्त DOSTH BRAND CMS Granules के कुल 800 कट्टे (प्रत्येक 40 कि.ग्रा.) तथा VAM Supreme की 32 बोतल (प्रत्येक बोतल 1लीटर) को राजसात किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ई.सी.एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार प्रार्थी को सुना गया। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि आरोपियो के पास उक्त माल को भरतपुर जिले में विक्रय करने का कोई वैध प्राधिकार पत्र नहीं था। आरोपियों द्वारा विक्रय के उद्धेश्य से लाये गये उर्वरक DOSTH BRAND CMS एवं Granules VAM Supreme FCO(1985) के Schedule 1 के पार्ट ए में वर्णित नहीं है। अत:यह उर्वरक की श्रेणी में नहीं है तथा आरापियों द्वारा उर्वरक के रुप में विक्रय करने के उद्धेश्य से रुदावल लाया गया था। अप्रार्थीयों का यह कृत्य आवाश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहपठित FCO(1985) के क्लॉज 4,5,7,8, व 13 (ए)(बी) व 19(ए) का स्पष्ट उल्लंघन उक्त जप्त DOSTH BRAND CMS Granules के कुल 800 कट्टे (प्रत्येक 40 कि.ग्रा.) तथा VAM Supreme की 32 बोतल (प्रत्येक बोतल 1लीटर) को राजसात किये जाने की प्रार्थना की है। उनका यह भी कहना है कि जप्त उर्वरक FCO(1985) के Schedule 1 के पार्ट ए में वर्णित नहीं होने से

जिला कलक्टर
भरतपुर

उर्वरक खेती में उपयोग हेतु सिफारिस नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का यह भी कहना है कि जप्त उक्त दोनों प्रकार के उर्वरकों को खेती में उपयोग नहीं लिये जाने लायक जांच रिपोर्ट में बताया है इसलिए नष्ट करने की अनुमति भी दी जावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी पैरोकार के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी के पास उक्त जप्त माल को भरतपुर जिले में विक्रय करने का कोई वैध प्राधिकार पत्र नहीं था। आरोपियों द्वारा विकय के उद्धेश्य से लाये गये उर्वरक DOSTH BRAND CMS एवं Granules VAM Supreme FCO(1985) के Schedule 1 के पार्ट ए में वर्णित नहीं है। अतःयह उर्वरक की श्रेणी में नहीं है तथा आरापियों द्वारा उर्वरक के रुप में विकय करने के उद्धेश्य से रुदावल लाया गया था। अप्रार्थीयों का यह कृत्य आवाश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहपठित FCO(1985) के क्लॉज 4,5,7,8, व 13 (ए)(बी) व 19(ए) का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्त माल का राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त *DOSTH BRAND CMS* Granules के कुल 800 कट्टे (प्रत्येक 40 कि.ग्रा.) तथा *VAM Supreme* की 32 बोतल (प्रत्येक बोतल 1लीटर) को राजसात (Confiscate) किया जाता है। प्रार्थी ने मुताविक जांच रिपोर्ट में उक्त जप्त उर्वरकों को नष्ट किये जाने की है अतः जप्त उर्वरक को नियमानुसार निस्तारण / नष्ट किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30–08–2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर